लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 04/07/18

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 138

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः– जुलाई 2018 में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग की सूचना।
संदर्भः– संचालनालय का पत्र क्रमांक / समन्वय / बी / 2017 / 123–124 दिनांक 06.05.2017

विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय के संदर्भित पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह 04:00 बजे से 05:30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित की जाएगी। जिसके अनुक्रम में प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे सोमवार को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एवं दूसरे एवं चौथे सोमवार को संचालनालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित की जाएगी।

उक्त के कम में दिनांक 09.07.2018 (द्वितीय सोमवार) एवं 23.07.2018 (चतुर्थ सोमवार) को अपरान्ह 04:00 बजे से 05:30 तक मंत्रालय, वल्लभ भवन के एन.आई.सी. कक्ष क्रमांक 66 में वीडियो कान्फ्रेसिंग आयोजित की गई है। जिसमें संचालनालय के पत्र क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 123–124 दिनांक 19.06.2018 द्वारा जारी संशोधित ऐजेन्डा बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। इन बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दु पर भी जानकारी प्रदाय की जायेगी।

"आयकर विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि टीडीएस प्रावधानों के अनुपालन में चूक होने पर शासकीय स्कूलों / विकास खंड शिक्षा अधिकारी / संकुल प्राचार्यो / के प्रकरण में टीडीएस की मांग खडी होती है इस संबंध में समस्या के निवारण हेतु संबधित सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों / लेखा अधिकारियों / चेक आहरण वितरण अधिकारियों के साथ माह जुलाई 2018 में सेमीनार का आयोजन किया जाये।

इस संबंध में श्री राजेश मौर्य सहायक संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय को समन्वयक नियुक्त किया गया है। श्री मौर्य दिनांक 09 जुलाई 2018 को आयोजित होने वाली वीडियो कान्फ्रेसिंग मे आयकर अधिकारियों के साथ इस संबध में जानकारी प्रदाय करेंगें।"

अतः आप इस संबंध में दिनांक 09 जुलाई 2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में शासकीय स्कूलों / विकास खंड शिक्षा अधिकारियों / संकुल प्रचार्यो को अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक एवं सहायक संचालक (रमसा), विकासखंड नोडल प्राचार्य सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगें। विकासखंड नोडल प्राचार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए समस्त निर्देशों को विकासखण्ड में शेष प्राचार्यो तक पहुँचाने हेतु एवं उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिम्मेदार रहेंगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

4/7/18
(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 139 भोपाल, दिनांक 04/07/18

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. वरिष्ठ निज सहायक,अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) लोक शिक्षण (स्थानीय)।
8. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण (स्थानीय) मध्यप्रदेश।
9. श्री गोविंद खण्डेलवाल आयकर अधिकारी (टीडीएस)—2 आयकर भवन होशंगाबाद रोड भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक आअ(टीडीएस)-2 / भो / सेमिनार / 2018-19 दिनांक 19.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल कृपया वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सहभागिता करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश देने का कष्ट करें।
11. श्री मयंक नागर, प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन बेसमेंट, भोपाल।
12. समस्त अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक, की ओर वर्णो के बिन्दु के संबंध में कक्षवार जानकारी का फोल्डर अनिवार्य रूप से समन्वय कक्ष को उपलब्ध कराना एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
13. उप संचालक, भण्डार स्थानीय।
14. श्री राजेश मौर्य सहायक संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
15. श्रीमती सीमा बरोज,निज सहायक स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/7/18

संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार को मंत्रालय में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्थाई ऐजेन्डा बिन्दु

स.क्र.	द्वितीय सोमवार	चतुर्थ सोमवार
1.	ई–सर्विस बुक का अपडेशन	एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी।
2.	वरिष्ठता सूचीयों का अपडेशन	—
3.	अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण।	अशासकीय विद्यालयों के लम्बित मान्यता प्रकरण, अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्यता नियमों का पालन।
4.	—	लेपटॉप वितरण/विश्व योग दिवस अथवा अन्य वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लम्बित भुगतान।
5.	अशदायी पेंशन प्रकरण।	नवीन शिक्षण सत्र 2018–19 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना अंतर्गत लम्बित जानकारी।
6.	—	30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं हेतु जिलों की रणनीति एवं ज्ञानपुंज योजना अंतर्गत शालाओं का निरीक्षण।
7.	संविदा शाला शिक्षकों के तीन वर्ष उपरांत पात्र पाये जाने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति।	शैक्षिक अभ्युत्थान योजना अंतर्गत प्रशिक्षण एवं व्यय विवरण। नियत कालीन परीक्षाएं एवं मूल्यांकन।
8.	अध्यापक संवर्ग में नियुक्त सेवकों को दिए गए क्रमोन्नति वेतनमान की जानकारी।	शैक्षणिक कैलेण्डर का पालन एवं बालसभा एवं अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियों का नियमित संचालन।
9.	विधिक प्रकरणों की समीक्षा।	शिक्षक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रस्ताव।
10.	समग्र छात्रवृत्ति/बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना।	समसामयिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, मोगली, कालिदास उत्सव, बालरंग, इंस्पायर अवार्ड, सूर्य नमस्कार आदि की समीक्षा।
11.	—	अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में वेतन भुगतान।
12.	विभागीय जाँच	—
13.	वर्तमान त्रैमास में बटन की व्यय कार्ययोजना।	नवीन सत्र 2018–19 हेतु निःशुल्क साईकिल वितरण योजना।
14	सी.एम.हेल्पलाईन	अपूर्ण भवन एवं नवीन भवनों के लिए भूमि का चिन्हांकन। निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा।

आयुक्त 4/6/18
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश